बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक– 27/3/12

संख्या – II/इ¹– 123/2000 – 958 / समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, मुंगेर के पत्रांक 30 दिनांक–16.01.2012 के द्वारा सूचित किया गया है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमंडल में वर्ष 2010–11 में अस्थायी रूप से खोले गये अवर निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों की उपस्थापना बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रतिमाह कम्प्यूटरीकृत निबंधन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य संचालन से संबंधित सर्विस चार्ज द्वारा प्राप्त आय से व्यय प्रतिमाह 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये अधिक है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्यालय स्वतः आत्म भारित नहीं होने के कारण दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से बन्द करने का निर्णय लिया गया है। वहाँ के अभिलेखों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, मुंगेर के द्वारा अपेक्षित है।

वर्ष 2010–11 में खोले गए तारापुर अवर निबंधन कार्यालय के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी अंचल पूर्व की भांति अवर निबंधन कार्यालय, खगड़पुर के क्षेत्राधिकार में रहेंगे।

(आमिर सुबाहानी)
प्रधान सचिव,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – II/इ¹– 123/2000 – 958 /पटना, दिनांक– 27/3/12
प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता–सह, जिला निबंधक/जिला अवर निबंधक, मुंगेर/अवर निबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आमिर सुबाहानी) 27.3.12
प्रधान सचिव,
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
बिहार, पटना।